Comp. No.: 1978761 File No.:33-1099/343/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक **29-07-2026**

विषयः क्षेत्र पंचायत के नियामक कार्यों एवं पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-2970/33-1-2009-3762/08 दिनांक 01.09.2009 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतो के नियामक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की गई है:-

(i) क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन एवं उसके नियंत्रण में सहायक विकास अधिकारी (पं0), क्षेत्र पंचायत के समस्त नियामक कार्यो का संपादन करेगा और पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण करेगा।

(ii) जिला पंचायत राज अधिकारी, जो पंचायती राज विभाग का जनपद स्तरीय अधिकारी है, को क्षेत्र पंचायतों से संबंधित नियामक एवं पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं / कार्यो के अनुश्रवण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया जाता है। इस निमित्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के समय क्षेत्र पंचायत से संबंधित जिन अभिलेखों की आवश्यकता होगी, उन्हें उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्र पंचायत का होगा।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर पर उक्त आदेशों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायतों को केन्द्रीय

वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग नही किया जा रहा है। अतएव उक्त योजनाओ के अंतर्गत आवंटित धनराशि के पूर्ण उपभोग हेतु पंचायती राज विभाग के स्तर पर भी प्रभावी अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है ।

3- इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन एवं उसके नियंत्रण में सहायक विकास अधिकारी (पं0), क्षेत्र पंचायत के समस्त नियामक कार्यो के संपादन हेतु तथा पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण हेतु शासनादेश सं0-2970/33-1-2009-3762/08 दिनांक 01.09.2009 में विहित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 29-07-2026
17:16:32

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकाास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0), उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 29-07-2026
17:41:01

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या: 2970/33–1–2009–3762/08

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक : 01 सितम्बर, 2009

विषय: क्षेत्र पंचायतों के नियामक कार्यों एवं पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–92 में खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इस प्रयोजन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्य अधिनियम में परिभाषित हैं परन्तु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की क्षेत्र पंचायत के कार्यकलापों में कोई भूमिका परिभाषित न होने के कारण उनका कोई योगदान क्षेत्र पंचायत के कार्यकलापों में नहीं हो पाता है। स्थानीय स्तर पर भी खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा भी बहुधा कोई सुस्पष्ट उत्तरदायित्व उन्हें नहीं दिये जाने की बात संज्ञान में लायी गयी है। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग द्वारा क्षेत्र पंचायतों को विभिन्न कार्यक्रमों, यथा – राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन किया जा रहा है परन्तु क्षेत्र पंचायत से संबंधित कार्यों के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी की भूमिका स्पष्ट न होने के कारण उनके द्वारा न तो क्षेत्र पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण किया जाना सम्भव हो पा रहा है और न ही क्षेत्र पंचायतों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा पा रहा है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर की क्षेत्र पंचायत के नियामक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(1) क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन एवं उसके नियंत्रण में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) क्षेत्र पंचायत के समस्त नियामक कार्यों का सम्पादन करेगा और पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण करेगा।

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी, जो पंचायतीराज विभाग का जनपद स्तरीय अधिकारी है, को क्षेत्र पंचायतों से सम्बंधित नियामक एवं पंचायती राज

विभाग द्वारा वित्त पोषित योजनाओं/कार्यों के अनुश्रवण व निरीक्षण हेतु अधिकृत किया जाता है। इस निमित्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के समय क्षेत्र पंचायतों से संबंधित जिन अभिलेखों की आवश्यकता होगी, उन्हें उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्र पंचायत का होगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या : 2970 (1)/33-1-2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— स्टाफ अधिकारी, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3— स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6— आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7— निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
8— निदेशक पंचायतीराज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
9— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
11— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० के० शर्मा)
प्रमुख सचिव

Scanned with CamScanner